SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898
in the Court of **अपेक्षा यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी धरमपुरी जिला धार (म.प्र.)**

SUM Case No.672/2022.....Complaint or report made on FIR/P.O.R.No-366/2022

Name and address of the Complainant ..- म.प्र.राज्य द्वारा शासन पुलिस धरमपुरी जिला धार

Name, Parentage, Caste and Address of accused

अभियुक्त का नाम–अजय पिता मेहकाल

आयु 46 वर्ष, निवासी– देगॉवा थाना धरमपुरी जिला धार म.प्र.।

.....

The offence complained of and date of its alleged commission --

---

आप अभियुक्त पर अभियोग है किः–

आपने दिनांक 04.08.2022 को समय 18:40 बजे या उसके लगभग अंतर्गत थाना धरमपुरी, आरोपी के घर के आगे टापरी में देगॉवा में अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के एक प्लास्टिक कि केन मे देशी कच्ची हाथ भट्टी महुआ 10 लीटर शराब को अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखे हुये पाये गये।

इस प्रकार आपने वह कार्य किया जो धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के अधीन दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान में है।

क्या आप अपराध स्वीकार करना चाहते हो अथवा विचारण चाहते हो।

(अपेक्षा यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
धरमपुरी जिला धार (म.प्र.)

The plea of the accused and his examination (if any) -

(अपेक्षा यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
धरमपुरी जिला धार (म.प्र.)

The offence proved, if any, and in case under clause (d), clause (e), clause (f) or clauese (g), of Sub-section (i) of Section 260, the value of the property in respect of which the offence has been committed.

<u>निर्णय</u>

(आज दिनांक–25.11.2022 को घोषित)

01. अभियुक्त पर दिनांक 04.08.2022 को समय 18:40 बजे या उसके लगभग अंतर्गत थाना धरमपुरी, आरोपी के घर के आगे टापरी में देगॉवा में अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के एक प्लास्टिक कि केन मे देशी कच्ची हाथ भट्टी महुआ 10 लीटर शराब को अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखे हुये पाये गये।

इस प्रकार आपने वह कार्य किया जो धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के अधीन दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान में है।

02– समरी शीट पर आरोप विरचित कर आरोप की विशिष्टियां अभियुक्त को पढ़कर सुनाई व समझाई जाने पर उसने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया तथा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की सत्यता को स्वीकार किया। अभियुक्त का अभिभाक् उसके शब्दों में लिखा गया।

03– अभियुक्त द्वारा अपना अपराध स्वेच्छया स्वीकार किया गया है। तद्नुसार उक्त स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर, अभियोजन साक्ष्य को आहूत किया जाना आवश्यक नहीं है। आरोपी द्वारा की गई जुर्म स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर उसके विरूद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) का अपराध संदेह से परे प्रमाणित होने के कारण, उसे उक्त अपराध में दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

04– आरोपी समान अपराध के लिए पूर्व में दोषसिद्ध किया गया हो ऐसा कोई दस्तावेज अभियोग पत्र के संलग्न नहीं है।

05– अभियुक्त द्वारा की गई स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) के अपराध के तहत **दोषसिद्ध** ठहराते हुए **न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1000/–रूपये (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड** से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को **05 दिवस** के साधारण कारावास पृथक से भुगताया जाए।

06. प्रकरण में एक प्लास्टिक कि केन मे देशी कच्ची हाथ भट्टी महुआ 10 लीटर शराब मूल्यहीन होने से विधिवत नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

07. प्रकरण में अभियुक्त को धारा 363 द.प्र.सं के तहत निर्णय की निःशुल्क प्रति प्रदाय की जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

मेरे बोलने पर निर्णय टंकित किया गया।

(अपेक्षा यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
धरमपुरी जिला धार (म.प्र.)

(अपेक्षा यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
धरमपुरी जिला धार (म.प्र.)